

- 1- 01 अप्रैल 2018 को अभ्यर्थी की आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- 2- यदि अभ्यर्थी किसी विद्यालय में न पढ़ा हो तो ऐसी स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम/कुटुम्ब रजिस्टर/पूर्व विद्यालय (यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी विद्यालय का विद्यार्थी रहा हो) द्वारा जारी होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न न होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 3- यदि अभ्यर्थी के माता पिता का.हि.वि.वि. के स्थायी कर्मचारी हैं तो LTC सेल द्वारा जारी कर्मचारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 4- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 5- दिव्यांग अभ्यर्थी मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 6- संदेहास्पद स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र /स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराया जायेगा। इसके गलत या जाली पाए जाने पर प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवम् जमा किया हुआ प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 7- सभी प्रमाण पत्रों पर अभ्यर्थी का नाम अंकित होना चाहिए।
- 8- प्रवेश लॉटरी चयन स्थल पर अभ्यर्थी के माता/पिता/अभिभावक की उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा चयन मान्य नहीं होगा।

वचनबद्धता

मैं घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरे पुत्र/ पुत्री के संबंध में आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचना सत्य है। भविष्य में यदि किसी भी स्तर पर सूचना गलत पायी जाती है तो मेरे पुत्र/ पुत्री का नाम विद्यालय से निरस्त कर दिया जाये। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी। मैं विद्यालय के नियम, कानून तथा निर्णयों का सदैव पालन करूँगा/करूँगी एवं मैं अपने पुत्र/पुत्री के चरित्र एवं व्यवहार के लिए विद्यालय में एवं विद्यालय के बाहर भी पूर्णतया जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- पूर्व विद्यालय में पढ़ने पर अंक तालिका की सत्यापित फोटो कापी या परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र (Appearing Certificate) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

(माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर)

स्थान-

दिनांक-

प्राचार्य का आदेश

कक्षा एक में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

दिनांक.....

1. स्वास्थ्य मद में दिनांक.....को रसीद सं०.....रु०.....
2. विकास एवं अन्य मद में दिनांक.....को रसीद सं०.....रु०.....

कुल रु० मात्र

कक्षाध्यापक / कक्षाध्यापिका के हस्ताक्षर



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
BANARAS HINDU UNIVERSITY
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी
SHRI RANVIR SANSKRIT VIDYALAYA
KAMACHHA, VARANASI- 221010

(3)

अभ्यर्थी का प्रमाणित छाया
चित्र (माता / पिता /
संरक्षक द्वारा)

प्रवेश पत्र कक्षा- 1
सत्र 2018-2019

अनुक्रमांक

प्रवेशार्थी का नाम.....

पिता का नाम.....

माता का नाम.....

()

हस्ताक्षर (माता/पिता/संरक्षक)

चयन प्रक्रिया स्थान एवं तिथि: श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी।
दिनांक 01.04.2018, समय प्रातः 8.00 बजे से प्रारम्भ (रविवार)

पर्ण: (अभिभावक)

प्राचार्य



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
BANARAS HINDU UNIVERSITY
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी
SHRI RANVIR SANSKRIT VIDYALAYA
KAMACHHA, VARANASI- 221010

प्रवेश पत्र कक्षा- 1
सत्र 2018-2019

अनुक्रमांक

(लॉटरी बाक्स में डालने हेतु)

प्रवेशार्थी का नाम

पिता का नाम

माता का नाम

चयन प्रक्रिया स्थान एवं तिथि: श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी।
दिनांक 01.04.2018

- नोट: (1) लॉटरी बाक्स में पर्ण डालने का समय- प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक। अभिभावक की उपस्थिति अनिवार्य है। कृपया इस पर्ण को न मोड़े, न ही इस पर किसी प्रकार का चिह्न अंकित करें। अन्यथा अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
(2) अगले पृष्ठ पर सम्पूर्ण सूचनायें दी गई हैं, कृपया उन्हें भली-भाँति पढ़ लिया जाए।

1. लॉटरी के लिये निर्धारित तिथि एवं समय पर अभ्यर्थी के माता/पिता/ अभिभावक की उपस्थिति प्रवेश पत्र के साथ अनिवार्य हैं।
2. लॉटरी के दिन प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है, प्रवेश पत्र के बिना विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश पत्र का लॉटरी के लिए निर्धारित भाग अभिभावक द्वारा लॉटरी बाक्स में डालना होगा।
3. लॉटरी के लिये निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर, किसी बच्चे के माता/पिता/ अभिभावक के अनुपस्थित रहने के कारण उस बच्चे का एडमिट कार्ड लॉटरी बाक्स में नहीं डाला जाता है तो उसके लिये लॉटरी समिति/विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। यह माता/पिता /अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि ठीक समय पर लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिये उपस्थित हो तथा स्वयं अपने हाथ से लॉटरी बाक्स में एडमिट कार्ड डाले।
4. चयनित अभ्यर्थियों के फार्म में यदि किसी तरह की त्रुटि लॉटरी के बाद अथवा फीस जमा करने के बाद पायी जाती है या संलग्न प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
5. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि पर शुल्क न जमा करने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा प्रतीक्षा सूची से प्रवेश ले लिया जायेगा।
6. प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से कुछ सीट रिक्त रह जाती है, तभी क्रमवार उन्हें प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।